न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या/19/2013

1. श्रीमती समीना बेगम पत्नी श्री सलीम अहमद उम्र 28 वर्ष जाति मुसलमान निवासी ग्राम खौ नागोरियान छापर वाली ढाणी तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

–प्रार्थीया

बनाम

1. श्री नजीर खां पुत्र श्री अहमद खां, उम्र व्यस्क जाति मुसलमान निवासी ग्राम खौ नागोरियान छापर वाली ढाणी, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. श्रीमती मुन्नी बानो पत्नी श्री मोहम्मद जफर उम्र व्यस्क जाति मुसलमान निवासी सर्वे नंबर आई बी 263, जवाहर नगर कच्ची बस्ती टीला नंबर 1 जयपुर।
3. श्रीमती शबना बेगम पत्नी श्री शकील खान, उम्र व्यस्क, निवासी ढाणी बीड की ग्राम खौनागोरियान हाल निवासी सदभावना नगर लूनियावास स्टेण्ड के पास जयपुर।
4. श्री शकील खान पुत्र श्री इस्लाम खान उम्र व्यस्क, निवासी ढाणी बील की ग्राम खौनागोरियान हाल निवासी सदभावना नगर, लूनियावास स्टेण्ड के पास जयपुर
5. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
6. श्रीमती जमीला पत्नी मुनीर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम खौ नागोरियान छापर वाली ढाणी, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक: 14.07.2023

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ पेश किया गया कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण नंबर 1 व 2 की खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम खौनागोरियान पटवार हल्का खौनागोरियान भू0अ0नि0 क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 934 रकबा 0.16 हैक्टेयर जिसके नये खाता नंबर 431 व पुराना खाता ख्या 545 है। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1033/1600 है और अप्रार्थी नंबर 1 का 1/4 हिस्सा है तथा अप्रार्थी नंबर 2 का हिस्सा 167/1600 है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण 1 व 3 और 4 एक ही ग्राम के निवासी है तथा अप्रार्थी नंबर 3 व

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

ने कुछ असामाजिक तत्वों का गिरोह बना रख है जो प्रोपर्टी डिलिंग का काम भी करता है इसलिए शांति प्रिय लोगों की जमीने नाजायज तरीके से हडप कर लाभ अर्जि करता रहता है। प्रार्थीया उक्त आराजी पर काबिज है जिसका हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नक्शें में उत्तर दिशा की ओर मुख्य आम रास्ते पर है। जिसमें प्रार्थीया ने पुख्ता निर्माण भी कर रखा है और मकान बनाकर रह रही है। जिसमें बिजली का कनेक्शन भी लगा रखा है इस प्रकार प्रार्थीया खसरा नंबर 934 पर उत्तरी सीमा से मुख्य आम रास्ते से आगे तक काबिज है और उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रही है तथा अन्य हिस्सेदार अपने हिस्सों पर दूसरी जगह दक्षिण की ओर अपने अपने हिस्सों पर काबिज काश्त है। उसी अनुसार खेती करते आ रहे है तथा विवादित भूमि का विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं हुआ है सामलाती खाता ही रिकॉर्ड में चला आ रहा है। अप्रार्थी नंबर 2 व 3 व 4 प्रभावशाली व्यक्ति है जिन्होने एक गिरोह बना रखा है जो आये दिन लडाई झगडा करते रहते है और प्रार्थीया के हिस्से की भूमि में आवासीय कॉलोनी विकसित करना चाहते और प्रार्थीया को बेदखल करके व निर्माण करके अतिक्रमण करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है तथा अप्रार्थी नंबर 2 भी अप्रार्थी नंबर 3 व 4 का सहयोग करती है। दिनांक 21.02.2013 को प्रार्थीया के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी नंबर 2, 3 व 4 ने नाजायज अतिक्रमण कर आवासीय गतिविधियां शुरू करने का प्रयास किया तथा मौके पर प्रार्थीया के पत्थर व ईटे पडी हुई थी उनसे ही निर्माण करके कब्जा करने की धमकी दी तब प्रार्थीया ने मना किया तो अप्रार्थीगण ने गाली गलौच की और धक्का मुक्की व लडाई, झगडा करके प्रार्थीया के परिवारवालों के साथ मारपीट करने की कोशिश की और जान से मारने का प्रयास किया और धमकी दी कि हम तुम्हें विवादित भूमि से बेदखल करके ही दम लेगें और तुम्हारा इस जमीन पर कोई लेना देना नही है। इस प्रकार अप्रार्थीगण नाजायज तरीके से प्रार्थीया के हिस्से की भूमि पर कब्जा करना चाहते है और आम रास्ते पर स्थित अच्छी भूमि पर अपना कब्जा कर आधिपत्य जमाना चाहते है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी खसरा नंबर 934 में अप्रार्थीगण अतिक्रमण नहीं कर, न ही किसी प्रकार का निर्माण करें, न ही हस्तान्तरण करें तथा प्रार्थीया

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डाले। अप्रार्थीगण ऐसा ना तो स्वयं करे, नहीं ऐसा ऐजेन्ट्स सर्वेन्टस इत्यादि से करावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाब अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 के द्वारा कोई भी गिरोह नहीं बनाया गया है और ना ही किसी प्रकार का लडाई झगडा किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 28 मई 2002 द्वारा उक्त प्लाट को जिसकी ना 167 वर्गमीटर है को मु0 हाफिजा पत्नि खाजू खां श्री सिराज खां, श्री नवाब खां, श्री निजाम खां व श्री सलाम खां पुत्रान् स्व0 श्री खाजू खां निवासी खो नागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर से क्रय किया था। जिसका पंजीयन उप पंजीयक जयपुर प्रथम के यहां 28.05.2002 को करवाया गया। जिसमें उक्त प्लाट का नक्शा भी संलग्न किया गया। जिस नक्शें में उत्तर की ओर आम रास्ता व प्लाट के पूर्व की ओर रास्ता 25 फीट दर्शाया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 12 जुलाई 2012 को अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती मुन्नी बानो से उक्त प्लाट को जो खसरा नंबर 934 में स्थित है को क्रय कर लिया। जिसका पंजीयन उप पंजीयक 6 के यहां दिनांक 23.07.2012 को करवाया गया। जिसमें भी आम रास्ता उत्तर की ओर व 25 फूट रास्ता पूर्व की ओर दर्शाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त प्लाट सन् 2002 में क्रय किया था उसके उपरांत प्रार्थीया ने अपने प्लाट क्रय किये थे, इस तथ्य की जानकारी प्रार्थीया को पहले से थी। यदि प्रार्थीया को कोई आपत्ति थी तो प्रार्थीया ने उक्त आपत्ति को भूमि क्रय करते समय क्यों नहीं उठाई, व आज 11 साल बाद आपत्ति की जा रही है, जो कानूनन सही नहीं है, 11 साल की अवधि के बाद आपत्ति करना परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। उक्त प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किये जाने का कोई कारण दशित नहीं होता है। क्योकि अप्रार्थीगण 3 व 4 द्वारा अपने प्लाट पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है ना कि प्रार्थीया के प्लॉट पर कोई अतिक्रमण किया जा रहा है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावें।

बहस: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर वकील उभयपक्ष की सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

था। मूलवाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सांगानेर से विभाजन
स्ताव चाहे गये है मूलवाद अन्तिम निस्तारण में है इसलिए मूलवाद के
निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक
समझते है जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़े।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 934 वाकै ग्राम खोनागोरियान पटवार हल्का खोनागोरियान भू0अ0नि0 क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित की मौके एवम् रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें। निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner